

राज.लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित परीक्षाधीन (प्रोबेशनर ट्रेनी) के स्थाईकरण हेतु आवेदन पत्र

1. परीक्षाधीन कार्मिक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्मतिथि
4. लोक सेवा आयोग की मेरिट क्रमांक व वर्ग
5. प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक

चयनित पद – टिक करें

- i प्रधानाध्यापक
- ii प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)
- iii वरिष्ठ अध्यापक
- iv शा.शिक्षक ग्रेड-II/III
- v प्रशिक्षक (कोच)

6. प्रथम नियुक्ति से परीक्षाधीन अवधि में कार्यरत रहे विद्यालयों का विवरण –

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण

7. परीक्षाधीन कार्यरत अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये/लिये गये अवकाशों का विवरण–

क्र. सं.	अवकाश का विवरण	आदेश	अवकाश अवधि		कुल दिवस	सेवा पुस्तिका पृष्ठ सं.
			दिनांक से	दिनांक तक		
1.	प्रसूति अवकाश					
2.	पितृत्व अवकाश					
3.	उपार्जित अवकाश					
4.	असाधारण अवकाश					
5.	परिवर्तित अवकाश					
6.	अवैतनिक अवकाश					
7.	अन्य अवकाश					

8. मैं घोषणा करता हूँ कि प्रथम नियुक्ति के पश्चात् उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा अन्य कोई अवकाश नहीं लिये गये हैं तथा मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

दिनांक

हस्ताक्षर परीक्षाधीन कार्मिक मय पदनाम

कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान का प्रमाण-पत्र

कार्मिक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं का कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है, जो पूर्णतः सही है। कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए-16/17 में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है/नहीं चल रही है। कार्मिक का कार्य व्यवहार संतोषजनक है तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में आलौच्य पदस्थापन कार्य अवधि में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। कार्मिक के स्थाईकरण की अभिशंसा की जाती है।

**प्रतिहस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी
मय सील व दिनांक**

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान मय सील व दिनांक
www.rajteachers.com